भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 276
जिसका उत्तर गुरुवार, 8 दिसम्बर, 2022 को दिया जाना है

अधीनस्थ न्यायपालिका के प्रशासन में विशेषज्ञों का समावेश

276 श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अधीनस्थ न्यायपालिका का प्रशासन उच्च न्यायालयों के माध्यम से चलाया जाता है जिनके पास प्रबंधन और सांख्यिकी में विशेषज्ञता का अभाव है ;

(ख) क्या सरकार का इस समस्या से वैज्ञानिक रूप से निपटने और मामलों के निपटान में सुधार करने के लिए किसी पेशेवर प्रबंधन / संभार तंत्र /सांख्यिकीविद एजेंसियों की सेवाएं लेने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार इसे किस प्रकार प्राप्त करेगी; और

(घ) क्या सरकार लंबित मामलों से संबंधित ऐसी सभी सूचनाओं को मुक्त (ओपन) डेटा नीति की ओर अग्रसर करने का विचार रखती है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 और अनुच्छेद 235 के अधीन विद्यमान उपबंधों के अनुसार, सभी जिला न्यायालयों और इसकी क्षेत्राधिकारिता के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों के अधीक्षण और उन पर नियंत्रण की शक्ति संबंधित उच्च न्यायालयों में निहित हैं । इसके अतिरिक्त, न्यायालयों में मामलों का निपटान अनन्य रूप से न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार में आता है । अत:, केन्द्रीय सरकार की अधीनस्थ न्यायपालिका के प्रशासन में, कोई भूमिका नहीं है, न ही मामलों के निपटान में सुधार करने के लिए विशेषज्ञों/वृत्तिकों/सांख्यिकीविदों की नियुक्ति करने में कोई भूमिका है ।

तथापि, संघ सरकार मामलों के शीघ्र निपटान करने और लंबित मामलों में कमी लाने के लिए प्रतिबद्ध है । राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन का गठन, में तंत्र में विलंब और बकायों में कमी तथा संरचनात्मक परिर्वतनों के माध्यम से जवाबदेही में अभिवृद्धि और दक्षता मानकों और क्षमताओं की स्थापना द्वारा पहुंच में वृद्धि करने के दोहरे उद्देश्यों के साथ, अगस्त, 2011 में किया गया था । राष्ट्रीय मिशन के लक्ष्यों, उद्देश्यों और रणनीतियों तथा कार्ययोजना और इसके कार्यान्वयन के संबंध में परामर्श देने के लिए विधि और न्याय मंत्री की अध्यक्षता के अधीन एक वृहत क्षेत्र सदस्यता वाली एक सलाहकार समिति का गठन किया गया था । मिशन ने न्यायिक प्रशासन में बकायों और

लंबित मामलों के चरणबद्ध समापन के लिए एक समन्वयकारी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें अन्य बातों के साथ कम्प्यूटरीकरण सहित न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, अधीनस्थ न्यायपालिका की पद संख्या में वृद्धि, अत्याधीक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी संबंधी उपाय, मामलों के शीघ्र निपटान के लिए न्यायालय संबंधी प्रक्रियाओं का पुनर्गठन और मानव संसाधन विकास पर जोर देना भी अंतर्वलित है । विगत आठ वर्षों के दौरान लंबित मामलों का समाधान करने के लिए विभिन्न पहलों के अधीन उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नानुसार हैं:-

(i) <u>जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार:-</u>
1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आज की तारीख तक 9291.79 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं । इस स्कीम के अधीन न्यायालय हालों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से तारीख 30.06.2022 तक बढ़कर 20,993 हो चुकी है और तारीख 30.06.2014 को आवासीय इकाईयों की संख्या 10,211 से बढ़कर तारीख 30.06.2022 तक 18,557 हो चुकी है । इसके अतिरिक्त 2,673 न्यायालय हाल और 1,662 आवासी इकाईयां (न्याय विकास पोर्टल के अनुसार) निर्माणाधीन हैं । न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम को 9,000 करोड़ रु.की कुल लागत पर 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें से केंद्रीय हिस्सा 5,307 करोड़ रु. होगा । न्यायालय हॉल और आवासीय इकाइयों के निर्माण के अतिरिक्त, इसमें वकील हॉल, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर रूम का निर्माण भी सम्मिलित होगा।

(ii) <u>सुधार की गई न्याय के परिदान के लिए सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी (आई सी टी) का प्रभावन</u> :- सरकार ने जिला औऱ अधीनस्थ न्यायालयों को परिचालन योग्य बनाने के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी के लिए संपूर्ण देश में ई-न्यायालय मिशन पद्धति परियोजना को क्रियान्वित किया है। अब तक कम्प्यूटरीकृत जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या बढ़कर 18,735 हो गई है। 99.3% न्यायालय परिसरों को वैन की संयोजिता प्रदान की गई है। मामला सूचना सॉफ्टवेयर के नए और प्रयोक्ता-अनुकूलन पार्ट को विकसित किया गया है और सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में नियोजित किया गया है । सभी पणधारी जिसके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी है, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) कंम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/विनिश्चयों से संबंधी जानकारी तक पहुंच बना सकते हैं । 01.12.2022 तक, वादकारी इन न्यायालयों से संबंधित 21.74 करोड़ से अधिक मामलों की प्रास्थिति और 19.80 करोड़ आदेश/निर्णय तक पहुँच बना सकते हैं। ई-न्यायालय सेवाएं, जैसे वादकारीयों और अधिवक्ताओं के लिए सभी कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों में ई-न्यायालय मोबाइल एप, ई-मेल सेवा, एसएमएस पुश एण्ड पुल सर्विस में ई न्यायालय पोर्टल ,न्यायिक सेवा केन्द्रों (जेएससी) के माध्यम से ई-न्यायालय सेवाऐं, जैसे मामला रजिस्टर करने, मामला सूची, मामले की प्रास्थिति, दैनिक आदेशों और अंतिम निर्णयों के ब्यौरे उपलब्ध हैं । वीडिओ कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से 3240 न्यायालय परिसर तथा 1272 तत्स्थानी कारावासों को समर्थ बनाया गया है ।कोविड- 19 चुनौतियों को बेहतर तरीके से संभालने और वर्चुअल सुनवाई को सुचारू बनाने के उद्देश्य से, निर्णय/आदेश प्राप्त करने, जानकारी और ई फाइलिंग प्रसुविधा से संबंधित न्यायालय/मामले प्राप्त करने से सहायता की आवश्यकता के लिए वकीलों और वादकारियों को न्यायालय परिसरों में 619 ई-सेवा केंद्रों की स्थापना की गई है ।वर्चुअल सुनवाई को सुकर बनाने के लिए विभिन्न न्यायालय परिसरों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केबिन में उपस्कर प्रदान करने के लिए 5.01रु. करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। विभिन्न न्यायालय परिसरों में ई फाइलिंग के लिए 1732 हेल्प डेस्क काउंटरों को 12.12 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

17 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों अर्थात दिल्ली (2), हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल (2), महाराष्ट्र (2), असम, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर (2), उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल और राजस्थान में यातायात अपराधों को कम करने की कोशिश करने के लिए 21 वर्चुअल न्यायालय स्थापित किए गए हैं। 03.03.2022 तक, इन न्यायालयों ने 1.69 करोड़ से अधिक मामलों को संभाला है और 271.48 करोड़ रुपए के जुर्माना से अधिक की वसूली की है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान न्यायालयों के मुख्य आधार के रूप में उभरा क्योंकि भौतिक सुनवाई और सामूहिक मोड में सामान्य न्यायालय की कार्यवाही संभव नहीं थी। जब से कोविड लॉकडाउन शुरू हुआ, जिला न्यायालयों ने 1,65,20,791 मामलों की सुनवाई की, जबकि उच्च न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करके 31.10.2022 तक 75,80,347 मामलों (कुल 2.41 करोड़) की सुनवाई की। 31.09.2022 तक लॉकडाउन अवधि से उच्चतम न्यायालय में 97,435 सुनवाई हुई।

(iii) <u>उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्त पदों को भरना</u> :- 01.05.2014 से 05.12.2022 तक उच्चतम न्यायालय में 46 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी । उच्च न्यायालयों में 853 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए तथा 621 अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी किए गए। मई 2014 में उच्च न्यायालयों की स्वीकृत संख्या 906 से वर्तमान में बढ़कर 1108 हो गई । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या में निम्नानुसार वृद्धि की गई है :

निम्नलिखित तारीख तक	स्वीकृत संख्या	कार्यरत पद संख्या
31.12.2013	19,518	15,115
05.12.2022	24,994	19205

अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों का भरा जाना संबद्ध राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर आता है ।

(iv) बकाया समिति द्वारा अपनाए गए/उसके माध्यम से लंबित मामलों में कमी : अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, पांच वर्ष से अधिक लंबित मामलों को निपटाने के लिए उच्च न्यायालय समितियां स्थापित की गई हैं। जिला न्यायाधीशों के अधीन भी बकाया मामला समितियों की स्थापना की गई है। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए कदम विरचित करने के लिए एक बकाया मामला समिति का गठन किया है। पूर्व में, विधि और न्याय मंत्री ने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के साथ पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों पर ध्यान आकर्षित करने और लंबित मामलों को कम करने का अभियान चलाने के लिए मामला उठाया है। विभाग ने मलीमथ समिति रिपोर्ट के बकाया उन्मूलन स्कीम मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन पर सभी उच्च न्यायालयों द्वारा रिपोर्टिंग के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है।

(v) अनुकल्पी विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर :- वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (तारीख 20 अगस्त, 2018 को यथासंशोधित) वाणिज्यिक विवादों के बाध्यकारी पूर्व मध्यकता और निपटारे के लिए अनुबद्ध किया गया है । विहित की गई समय-सीमा द्वारा विवादों के शीघ्र समाधान

को तेज करने के लिए माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 के द्वारा माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन किए गए है ।

(vi) **<u>विशेष प्रकार के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए पहल :-</u>** चौदहवें वित्त आयोग ने सरकार के राज्यों में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के प्रस्ताव का समर्थन किया था जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना करने से है जिसमें वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों आदि से संबंधित मामले सम्मिलित हैं तथा राज्य सरकारों को ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बढे हुए कर न्यागमन 32% से 42% वृद्धि करने के प्ररूप में उपबंधं करने के लिए अतिरिक्त राजकोषीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया है। 31.05.2022 की स्थिति के अनुसार जघन्य अपराधों, महिलाओं और बालकों आदि के विरूद्ध अपराधों के लिए 838 त्वरित निपटान न्यायालय कार्य कर रहे हैं। निर्वाचित संसद् सदस्यों/विधानसभा सदस्यों से संबंधित दांडिक मामलों के त्वरित निपटान के लिए दस (10) विशेष न्यायालय नौ (09) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों (मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में एक प्रत्येक और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में दो) स्थापित किए गए हैं। सरकार ने भारतीय दंड संहिता, के अधीन बलात्संग तथा पाक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए संपूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक स्कीम का और अनुमोदन किया है । अब तक 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस स्कीम में जोडा गया है । स्कीम के लिए वित्तीय वर्ष 2019-2020 में 140 करोड रुपए जारी किए गए थे तथा वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान 160 करोड रुपए जारी किए गए है और वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 134.557 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं तथा अक्टूबर, 2022 तक वित्तीय वर्ष के दौरान 53.55 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं । 731 एफटीएससी वर्तमान में 412 अनन्य पॉक्सो न्यायालयों सहित कार्य कर रहे हैं, जिसमें 31.10.2022 तक 1,24,000 मामलों का निपटारा किया गया।

(vii) इसके अतिरिक्त, लंबितता कम करने और न्यायालयों को मुक्त करने के लिए सरकार ने हाल ही में विभिन्न विधियां जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 और दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 को संशोधित किया है ।

(घ) : राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रीड (एनजेडीजी), एक फ्लॅगशिप परियोजना ई-कोर्ट परियोजन के तत्वाधान के अधीन कार्यान्वित की गई है जो देश के सभी जिलों, तालुका साथ ही साथ उच्च न्यायालयों के लंबित मामलों और निपटाए गए मामलों से संबंधित डाटा का राष्ट्रीय भंडार है ।

एनजेडीजी पर सूचना सभी पणधारियों के लिए पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है । लचीली खोज प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए, ई-कोर्ट सेवा प्लेटफार्म के माध्यम से वर्तमान में मुवक्किल तारीख 03.10.2022 तक इन कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों से संबंधित जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के 21.26 करोड़ से अधिक मामलों और 19.14 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों के संबंध में मामला प्रास्थिति सूचना तक पहुंच सकते हैं । मामलों का डाटा राज्य और जिले के साथ-साथ मामले की आयु के आधार पर ड्रिल-डाउन विश्लेषण पालन करने की क्षमता के साथ दोनों सिविल और दांडिक मामलों के लिए एनजेडीजी पर उपलब्ध है ।

भारत सरकार द्वारा घोषित नैशनल डाटा शेअरिंग एन्ड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी (एनडीएसएपी) के अनुरूप, केन्द्रीय और राज्य सरकार ने ओपन एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) का विभागीय आईडी और एक्सेस का उपयोग करते हुए, एनजेडीजी डाटा तक आसानी से पहुंच अनुज्ञात करने के लिए उपबंध किया है । यह संस्थागत मुवक्किलों को उनके मुल्यांकन और निगरानी करने के उद्देश्य के लिए एनजेडीजी डाटा तक पहुंच अनुज्ञात करता है । भविष्य में गैर-संस्थागत मुवक्किलों के लिए इस सुविधा को विस्तारित करने का प्रस्ताव है ।

****